रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06112023-249894
CG-DL-W-06112023-249894

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, अक्तूबर 29—नवम्बर 4, 2023, शनिवार/ कार्तिक 7—कार्तिक 13, 1945
No. 42] NEW DELHI, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2023, SATURDAY/ KARTIKA 7—KARTIKA 13, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सहायक निदेशक (वैज्ञानिक सहायता) भर्ती नियम 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (वैज्ञानिक सहायता) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त** नाम **और प्रारंभ** - (i) इन नियमों को गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (वैज्ञानिक सहायता) भर्ती नियम, 2023 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर & पद संख्या, इसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की** पद्धति, **आयु सीमा** और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन** पद **या अचयन पद।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
सहायक निदेशक (वैज्ञानिक सहायता)।	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क ', राजपत्रित , अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11(67700-208700रूपये-)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा है।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी: **(क)** (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) जिन्होने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500/-) या समतुल्य पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यायालयिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जीव रसायन या वनस्पति विज्ञान या आण्विक जीव विज्ञान में एम.एससी.। (ii) केंद्रीय या राज्य न्यायालयिक प्रयोगशालाओं में पांच वर्ष का कार्य अनुभव या न्यायालयिक विज्ञान में पांच वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/18/2020-पीटी]

रमण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st October, 2023

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Director (Scientific Aids) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Scientific Aids) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Assistant Director (Scientific Aids) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. -**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Director (Scientific Aids).	**1*** **(2023)** *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazette, Non-Ministerial.	Level **-11** in the pay matrix (Rs. **67700- 208700/-).**	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory organisation or Public sector undertaking or Universities or Recognised Research Institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) M.Sc. in Forensic Science or Physics or Chemistry or Zoology or Biochemistry or Botany or Molecular Biology from a recognised university or institute. (ii) Five years work experience in Central or State Forensic Laboratories or five years teaching or research experience in forensic science. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/18/2020-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 154.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उसका संबंध स्टाफ कार चालक श्रेणी-I के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया